नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 329.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालयों को गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनों में सहायक प्रबन्धक-सह-स्टोर-कीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक कार्यालय, सहायक प्रबन्धक-सह-स्टोर-कीपर (गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनें) भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक प्रबन्धक-सह-स्टोर कीपर	4* (2011) (*कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है) ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	पी बी-1, (5200-20200 रुपए) ग्रेड पे 2400 रुपए **टिप्पणी** : इसके अतिरिक्त वह 'ए', 'बी', 'सी', 'डी'; '2-ए' और '3-ए' प्रकार की कैंटीनों में कार्य करने के लिए 250 रुपए प्रतिमाह और '4-ए' तथा उससे ऊपर के प्रकार की कैंटीनों में 500 रुपए	अचयन	21 से 28 वर्ष के बीच : (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार) **टिप्पणी** : आयु सीमा के निर्धारण की तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जोकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग,

	(4)	(6)
	प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी प्राप्त करेगा ।	हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम उत्तीर्ण । अथवा बुक कीपिंग अथवा स्टोर कीपिंग में एक वर्ष के डिप्लोमा सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक । (ख) अनुभव : किसी सरकारी विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में स्टोर अथवा एकाउण्ट्स संभालने का तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी 1 :** अन्यथा सुपात्र उम्मीदवार के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन अर्हता(ओं) में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी 2 :** यदि चयन के दौरान किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी को यह लगता है कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे तो सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है ।	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति :** (i) 5200-20200 रुपए के पीबी-1 तथा 1900 रुपए ग्रेड पे में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले लिपिक (ii) पीबी-1, 5200-20200 रुपए तथा 2000 रुपए ग्रेड पे में पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा स्टोर अथवा एकाउण्ट्स संभालने में दो वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य के साथ इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण हलवाई-सह-रसोइया

(39)

(11)

टिप्पणी 1 : जहां पर ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने कि अपनी अर्हक सेवा पूरी क ली हो, के नाम पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनव वरिष्ठों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की ग अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष, ज भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, के साथ अगले उच्चत ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा क लिया हो जोकि ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चूके हैं ।

टिप्पणी 2 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तारीख से पहले तक नियमित आधार पर की गइ सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू संगत ग्रेड पे अथव वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

क (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा

(ii) जिन्होंने पी.बी.-1, 5200-20200 रु. तथा 1900 रु. ग्रेड पे में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

ख (i) जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कालम 7 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों; और

(ii) स्टोर अथवा एकाउन्ट्स संभालने का तीन वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी 1 : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य सवंर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय पदाधिकारी जोकि पदोन्नति की सीधी प्रतीक्षा सूची में हैं, पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । इसमें एक समान ग्रेड पे या वेतनमान में एक से अधिक संशोधन से पूर्व के वेतनमान का विलय शामिल नहीं है और यह लाभ केवल उन्हीं पदों पर मिलेगा जहां किसी उन्नयन के बगैर ग्रेड पे अथवा वेतनमान को सामान्यत: प्रतिस्थापित किया गया है ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के संबंध में पदोन्नति अथवा नियमितीकरण के लिए) में शामिल हैं : (1) उप निदेशक, जनगणना कार्य अथवा अवर सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य (3) केन्द्र सरकार के किसी अन्य कार्यालय का कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (संबंधित जनगणना कार्य निदेशक कार्यालयों के संबंध में पदोन्नति अथवा नियमितीकरण के लिए) में शामिल हैं :** (1) संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य अथवा उप निदेशक जनगणना कार्य —अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य (3) केन्द्र सरकार के किसी अन्य कार्यालय का कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं ।

[फा. सं. ए-51011/1/2011-प्रशा. 5]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

New Delhi, the 29th November, 2011

G. S. R. 329.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Manager-cum-Store Keeper in the Non Statutory Departmental Canteens of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, and the Offices of Director of Census Operations in the States and the Union Territories, Assistant Manager-cum-Store Keeper (Non Statutory Departmental Canteens) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—The number of the said post, its classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment,age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in. columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and Grade Pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Manager-cum-Store Keeper	4* (2011) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, (Rs. 5200-20200); Grade Pay Rs. 2400 **Note :** He will also draw Special Allowance of Rs. 250 p.m. for attending to duties in Canteens Type 'A', 'B', 'C' 'D' '2-A' and '3-A' and Rs. 500 p.m. in Canteens Type '4-A' and above.	Non-selection	Between 21 and 28 years; (Relaxation of age limit for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Nadaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(a) B. Com pass from a recognised university. OR Graduate in any discipline from a recognised university with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping. (b) **Experience :** Three years in a Government Department or Public Sector Undertaking in handling Stores or Accounts. **Note : 1** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits

(7)	
Note : 2 The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to the filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	**Promotion :** (i) Clerck with atleast eight years regular service in the P B-1 of Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 1900. (ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in the PB=1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000 with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing Intermediate pass with Commerce from a recognized university. **Note 1 :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with atleast eight years' regular service in the PB-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 1900 and (b) (i) possessing educational qualification as prescribed for direct recruit under column 7 and (ii) Three years experience in handling Stores or Accounts.

(11)
Note 1 : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2 :** The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationsts shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis, by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be Consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the office of the Registrar General, India for promotion or confirmation) consisting of :— (1) Deputy Director of Census Operations or Under Secretary, Office of the Registrar General, India —Chairman (2) Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member (3) A Group 'A' officer of another Central Government office —Member **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the respective Offices of the Director of Census Operations for promotion or confirmation) consisting of :—** (1) Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations —Chairman (2) Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member (3) A Group 'A' officer of another Central Government office —Member	Not applicable.

[F. No. A-51011/1/2011-Ad.V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations